राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3300/2024

ईश्वर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुंनू।
6. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सागवा, बुहाना, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.11.2024
आदेश की दिनांक : 14.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 30.06.2019 को प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो गया है। प्रारंभ में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में वर्ष 1985 में नियुक्त हुए तथा सेवानिवृत्ति तक उनकी सेवा संतोषजनक रही। राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर आदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों की वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि की तिथि पहली जुलाई ही रहेगी। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत्त हो गया और उस दिन उसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली, इसलिए वह एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए जारी किए गए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के कारण, अपीलार्थी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके लिए वह हकदार था। पेंशन विभाग ने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया। (अनुलग्नक–1 व 2) वर्तमान मामले में शामिल विवाद का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य द्वारा दायर एसएलपी को दिनांक

23.07.2018 के आदेश के तहत खारिज करके इसे बरकरार रखा गया है, जिसमें यह माना गया है कि 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के हकदार हैं। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यूओआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है, लेकिन इसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जब प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को 04.10.2024 को एक नोटिस भेजा, जो उन्हें विधिवत प्राप्त हुआ, लेकिन आज तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। (अनुलग्नक–3) वर्तमान मामले में शामिल विवाद को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। वर्तमान मामले में शामिल विवाद पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह के मामले में निर्णय दिया है, इसलिए अपीलार्थी वर्ष 2019 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि के लाभ के लिए हकदार है और तदनुसार वह अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए भी हकदार है और अपने पेंशन लाभ के संशोधन के लिए भी हकदार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया और उनसे वर्ष 2019 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ देने का अनुरोध किया, लेकिन अपीलार्थी को आज तक यह नहीं दिया गया है और प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई अवैध, मनमानी और दुर्भावनापूर्ण है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2019 के लिए एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे एवं परिणामी लाभ के साथ बकाया राशि और 9ः प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाकर तदनुसार अपीलार्थी के संपूर्ण पेंशन लाभ और मासिक पेंशन को संशोधित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)